UPBL010013822017

न्यायालय Additional District and Sessions Judge - 1, Ballia

पीठासीन अधिकारी– (Sri Punit Kumar Gupta), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06114**

:– एस.टी. सं0–108/2017

राज्य ... अभियोजन

–बनाम–

छोटेलाल यादव पुत्र जवाहिर चौधरी

साकिन– ककरधट्टा, थाना मनियर, जिला–बलिया।

---- अभियुक्त

अपराध संख्या–235/2017

धारा–364, 302, 201 भा0 दं0 सं0

थाना–मनियर, जनपद– बलिया

एवं

UPBL010016042017

एस.टी. सं0–125/2017

राज्य ... अभियोजन

–बनाम–

भरत यादव पुत्र स्व 0 श्यामदेव यादव

साकिन– ककरधट्टा, थाना मनियर, जिला–बलिया।

---- अभियुक्त

अपराध संख्या–235/2017

धारा–364, 302, 201 भा0 दं0 सं0

थाना–मनियर, जनपद– बलिया

Digitally signed by PUNIT KUMAR GUPTA
Date: 2026.08.13 11:57:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPBL010023542017

एस.टी. सं0–220/2017

राज्य ... अभियोजन

–बनाम–

हीरामन विन्द पुत्र स्व0 चन्द्रदेव विन्द

साकिन– ककरधट्टा, थाना मनियर, जिला–बलिया।

---- अभियुक्त

अपराध संख्या–235/2017

धारा–364, 302, 201 भा0 दं0 सं0

थाना–मनियर, जनपद– बलिया

–निर्णय–

1– सत्र परीक्षण संख्या–108/2017 राज्य बनाम छोटेलाल यादव अ0सं0 235/2017, अन्तर्गत धारा–364, 302, 201 भा0 दं0 सं0 थाना–मनियर, जिला बलिया में अभियुक्त छोटे लाल एवं सत्र परीक्षण संख्या–125/2017 राज्य बनाम भरत यादव अ0सं0 235/2017, अन्तर्गत धारा– 364, 302, 201 भा0 दं0 सं0 थाना–मनियर, जिला बलिया में अभियुक्त भरत यादव एवं सत्र परीक्षण संख्या–220/2017 राज्य बनाम हीरामन विन्द अ0सं0 235/2017, अन्तर्गतधारा–364, 302, 201 भा0 दं0 सं0 थाना–मनियर, जिला बलिया में अभियुक्त हीरामन विन्द का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

उपरोक्त तीनो सत्र परीक्षण एक ही मामले व मुकदमा अपराध सं0 235/2017 से सम्बन्धित है और सत्र परीक्षण 108/2017 में ही संयुक्त रूप से साक्ष्य आदि अंकित किये गये है। अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त तीनो सत्र परीक्षण वादो का निस्तारण एक साथ करते हुए निर्णय पारित किया जा रहा है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–

''प्रार्थिनी पूजा चौहान पुत्री स्व0 तुफानी चौहान गाम एलासगढ खास थाना मनियर, जिला बलिया की रहने वाली है। दिनांक 31.01.17 को छोटेलाल यादव मेरे घर सुबह 08.00

बजे मेरी मां बिन्दा चौहान के मोबाइल नं0 7309736128 पर फोन करके अपने घर काम करने के लिए बुलाया। दिनांक 31.01.17 की शाम को मेरी मां करके काम जब घर नहीं आयी तो अगले दिन जब मै छोटेलाल यादव से सम्पर्क करके अपनी मां के बारे में जानकारी चाही तो कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। मुझे सन्देह है कि छोटेलाल यादव मेरी मां को कहीं गायब कर दिया है। अतः रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3– वादिनी मुकदमा पूजा चौहान की लिखित तहरीर प्रदर्श क 1 के आधार पर स्थानीय थाना–मनियर, जिला बलिया, अपराध संख्या 235/2017 में अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 364, भा0 दं0 सं0 का अभियोग पंजीकृत हुआ।

4– इस मामले की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। विवेचक ने दौरान विवेचना वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा समस्त विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण छोटेलाल यादव, भरत यादव एवं हीरामन विन्द के विरूद्ध धारा–364, 302, 201 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत जुर्म बखूबी साबित पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्टेंट, बलिया द्वारा दिनांक 10.05.17 को अभियुक्त छोटेलाल यादव के विरूद्ध पंजीकृत आरोप अपराध अन्तर्गत धारा–364, 302, 201, भा0 दं0 सं0 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया, जहॉ से यह प्रकरण अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6– विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दि0 05.01.18 को अभियुक्त छोटेलाल यादव के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा364, 302, 201, भा0 दं0 सं0 विरचित किया गया। अभियुक्त हीरामन विन्द की पत्रावली दिनांक 17.08.17 को कमिट होकर प्राप्त हुई। उसके विरूद्ध आरोप दिनांक 31.01.17 को विरचित किया गया।

अभियुक्त भरत यादव का कमिटल दिनांक 12.06.17 को किया गया और उसके विरूद्ध आरोप दिनांक 31.1.18 को विरचित किया गया, पत्रावली सरकार बनाम छोटेलाल यादव एस०टी०नम्बर 108/17 में पूर्व में पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 के बयान अभियुक्त भरत यादव एवं हीरामन विन्द के आरोप पत्र गठित होने के पूर्व होने के कारण दिनांक 06.06.25 को प्रार्थना पत्र हीरामन विन्द पुनः गवाही पी.डब्लू.1 व पी.डब्लू.2 को अवसर दिया गया ।

7. अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा आरोप से इंकार किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजी अभिलेख प्रस्तुत कर उन्हें प्रमाणित कर साबित कराया गया–

1	हस्तलिखित तहरीर	प्रदर्श क–1

2	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–2
3	फर्द बरामदगीएक जोड़ी हवाई चप्पल	प्रदर्श क–3
4	फर्द बरामदगी हसिया	प्रदर्श क–4
5	कायमी जी.डी.	प्रदर्श क–5
6	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–6
7	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7
8	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–8
9	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–9
10	आरोप पत्र	प्रदर्श क–10
11	आरोप पत्र	प्रदर्श क–11
12	कपडा	वस्तु प्रदर्श–1
13	हसिया	वस्तु प्रदर्श–2
14	साल	वस्तु प्रदर्श–3 व 4
15	कपडे	वस्तु प्रदर्श–5
16	चप्पल	वस्तु प्रदर्श–6

8– अभियोजन पक्ष की ओर से अपना मामला सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में 8 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

1	वादिनी मुकदमा पूजा चौहान	पी.डब्लू.1
2	दिनेश प्रसाद	पी.डब्लू.2
3	गौतम सिंह	पी.डब्लू.3
4	शैलेन्द्र सिंह	पी.डब्लू.4
5	देवेन्द्र यादव	पी.डब्लू.5
6	रामाकांत	पी.डब्लू.6
7	हे0का0 राजेश कुमार यादव	पी.डब्लू.7
8	निरीक्षक विजय सिंह	पी.डब्लू.8

9– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है –

9(1) –साक्षी पी0 डब्लू0–01 पूजा चौहान वादिनी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि –

''मेरे पिता जी का स्वर्गवास हो चुका है मै दो बहन और एक भाई हूँ। घटना के पहले मेरी मां हम लोगो के साथ रहती थी हम लोग और मेरी मां पूरा परिवार के साथ ननिहाल में रहते है मेरी मां ही मकाने वाली महिला थी। हम लोगो के नाना एवं मामा नहीं है । मेरी मां मजदूरी करके खर्चा चलाती थी । मेरे घर पर पिताजी के समय से ही मेरे घर पर छोटे लाल चौधरी आते जाते थे, छोटेलाल यादव ग्राम गोडवली, थाना मनियर, जिला बलिया का रहने वाला है जो मेरे गांव के सटे ही है छोटेलाल यादव को हम लोग माना ही करते थे । घटना लगभग 1–1/2 वर्ष के आस पास की है 8.00 बजे सुबह की है मेरी मां विन्दा चौहान के मोबाइल पर अभियुक्त छोटेलाल का फोन आया था उस समय मेरी मां खाना बना रही थी, फोन मैने उठाया था तथा मै मम्मी को फोन दे दिया और कहा कि मम्मी छोटेलाल मामा का

फोन है। फोन पर मेरी मम्मी को छोटेलाल ने बताया कि मेरे घर पर काम है मेरी मां ने छोटेलाल चौधरी से बात करके छोटेलाल यादव के घर काम करने चली गयी तथा हम लोगो से कही कि मै छोटेलाल यादव के यहां काम करने जा रही हूॅं, काम समाप्त होने पर आजाउगी। उसी दिन शाम को मेरी मां काम करके वापस घर नहीं आयी तो मै दूसरे दिन छोटेलाल यादव के घर गयी तथा मैने अपनी मां के बारे में जानकारी लीं मैने कहा कि आपने, अपने काम पर मेरी मां को बुलाया था तथा वह काम करने आप के यहां आयी अभी तक घर वापस मेरी मां नहीं आयी है इस पर छोटेलाल यादव ने हिलाहवाली करने लगे तथा बात करने से मना कर दिया । उसके बाद हम लोग अपनी मां को काफी खोजबिन किये जब नहीं मिली तो गांव तथा अन्य जगह भी तलाश किये थे तब हम लोगो को विश्वास हुआ कि मेरी मां को छोटेलाल यादव कही गायब कर दिये है। घटना के समय मेरी मां की उम्र लगभग 35 वर्ष थी।मेरी मां ने छोटेलाल केा उधार रूपया दिया था । मेरी मां को न मिलने के बाद मै गांव के एक अपरचित व्यक्ति से घटना की रिपोर्ट लिखवाकर थाने पर दिया था। पत्रावली में कागज सं04 क गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने बताया कि यह वही प्रार्थनापत्र है जिसको मै थाने पर दिया था। इस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसमें मै तस्दीक करती हॅू जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने इस घटना के बावत मेरा बयान लिया था। साक्षी को एस0टी0नं0 108/17 में शामिल कागज सं 6क/1 व 6क/2 व 6क/3 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि हां इस पर मेरा ह हस्ताक्षर है मेरी मां का क्या–क्या सामान बरामद हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है।

9(2) – साक्षी **पी0 डब्लू0–02 दिनेश प्रसाद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' घटना के समय मै ग्राम पंचायत ऐलाशगढ़ विकाश खण्ड मनियर में प्रधान था मेरी ही गांव की लडकी विन्दा चौहान जिसके पति दो वर्ष पहले अगस्त 2014 में सरजू नदी में डूब कर मर गये थे पति के मृत्यु के बाद बिन्दा चौहान अपने मायके में अपने मृत पिता माता के घर पर रहकर मजदूरी करके अपने तीनो बच्चो का पालन पोषण करती थी। बिन्दा चौहान के घर पर ककरघट्टा गांव के छोटेलाल यादव आते जाते थे । मृतक बिन्दा चौहान व छोटेलाल यादव की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। बिन्दा चौहान की पुत्री कु0 पूजा चौहान उम्र लगभग 16 वर्ष आकर मुझे बतायी कि मेरे मां को छोटेलाल यादव दिनांक 31.1.17 को सुबह आठ बजे अपने यहां काम करने के लिए लेकर गये थे। खाना खाकर मेरी मां छोटेलाल यादव के घर काम करने चली गयी । जब शाम को घर पर मेरी मां वापस नहीं आयी तो दूसरे दिन पूजा छोटेलाल यादव के यहां गयी, कि छोटेलाल यादव के घर पर ताला बन्द है और छोटेलाल घर से गायब है। पूजा ने मुझे बतायी कि मुझे विश्वास है कि मेरी मां बिन्दा चौहान को छोटेलाल वगैरह गायब करके जान से मारकर लाश सरजू नदी में फेक दिये है। तब मै ग्राम पंचायत के प्रधान होने के नात पूजा को

लेकर मै थाना मनियर पर गया और पूजा ने एक लिखित तहरीर थाना मनियर को दिया। दरोगा जी मेरा बयान लिये थे।

'' न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.02 के अनुपालन में हीरामन एवं भरत यादव के आरोप के पूर्व में बयान होने के कारण साक्षी दिनेश प्रसाद की पुनः दिनांक 27.07.2026 को न्यायालय उपस्थित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि –घटना के समय मैं ग्राम पंचायत एलासगढ़ का ग्राम प्रधान था। मेरे ही गॉव की बिन्दा चौहान के पति तूफानी की अगस्त 2014 में नदी में डूबने मृत्यु हो गयी थी। पति की मृत्यु के बाद बिन्दा चौहान अपने मायके में अपनी मृत माता पिता के घर पर रहकर मजदूरी करके अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करती थी। बिन्दा चौहान का कोई भाई नहीं था। बिन्दा चौहान के घर ककरघट्टा में गाँव के छोटे लाल यादव पुत्र जवाहर यादव आते जाते थे। बिन्दा चौहान व छोटेलाल की उम्र लगभग एक ही 35 वर्ष की थी। बिन्दा चौहान की बड़ी पुत्री कुमारी पूजा चौहान आकर मुझे बतायी कि मेरी माँ को छोटे लाल यादव दिनांक 31 ण्01 ण्2017 को सुबह 08 ण्00 बजे अपने यहाँ काम करने के लिये लेकर गये थे। खाना खाकर मेरी मॉ छोटेलाल यादव के यहाँ काम करने चली गयी। जब शाम को मेरी माँ घर वापस नहीं आयी तोए दूसरे दिन पूजा चौहान छोटेलाल यादव के घर गयी तो देखा कि छोटेलाल यादव के घर पर ताला बन्द हैए और छोटेलाल यादव घर से गायब है। पूजा ने मुझसे आकर बतायी कि उसे विश्वास है कि उसकी माँ बिन्दा चौहान को छोटेलाल यादवए भरत यादवए व हीरामन बिन्द के साथ मिलकर कहीं गायब कर जान से मारकर लाश सरयू नहीं में फेक दिये हैं। तब मैं ग्राम पंचायत के प्रधान होने के नाते पूजा को लेकर थाना मनियर पर गया और पूजा ने एक लिखित तहरीर थाना मनियर पर दिया। जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था।''

9(3) – साक्षी **पी0 डब्लू0–03 गौतम सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' घटना दिनांक 31.01.17 की है सुबह 9.00 बजे का समय था मै अपने घर से घाधरा नदी की तरफ नीमिया स्थान के तरफ खेत घुमने गया था। उसी समय दो लोग दिखायी दिये थे।वह कौन–कौन थे, मै नहीं पहचान सका। मै किसी को बातचीत करते नहीं सुना था। मैने कुछ समय बाद हमारे गांव के विन्दा चौहान को हरिगोड यादव के साथ जो हाथ में हसिया घास काटने के लिए ली थी, को धाधरा नदी के तरफ जाते हुए नहीं देखा था । मै उधर से किसी को आते हुए नहीं देखा था न पहचाना था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के मौखिक अनुरोध पर जिरह की अनुमति दी गयी।''

9(4) – साक्षी **पी0 डब्लू0–04 शैलेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

''दिनांक 31.1.17 को मै ग्राम एलाशगढ़ में अपने खेत में काम कराने हेतु मजदूर खोजने गया था और गंाव के पहले जब सड़क पर पहुंचा था तो उस समय सुबह के 9.00

बजे थे तो मैने एलाशगढ के विदा चौहान पत्नी स्व0 तुफानी चौहान को हाथ में हसिया लेकर दो लोगो के साथ जाते हुए देखा। लेकिन मै उन लोगो को नहीं पहचानता था इसलिए उन लोगो का नाम नहीं बता सकता। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के मौखिक अनुरोध पर जिरह की अनुमति दी गयी।''

9(5) – साक्षी पी0 डब्लू0–05 **देवेन्द्र यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' मै विगत वर्ष 2005 से सन् 2015 तक ग्राम प्रधान रहा और वर्तमान में भी प्रधान हूॅ । मेरे गांव गोडवारी खास का छोटेलाल यादव जिसको मै जानता पहचानता हूॅ । वह मेरे यहां रात को नहीं आया था उसने दिनांक 3101017 को घटित घटना क्रम जिसमें बिन्दा चौहान के मृत्यु के सम्बन्ध में मुझसे कोई बात नहीं बतायी थी , और मुझसे यह भी नहीं बताया था कि उस घटना में हीरामन विन्द व भरत यादव के साथ मिलकर हम लोगो ने मृतका की गला दबाकर हत्या करके उसके शव को नदी में फेक दिया है मैने विवेचक को इस मुकदमें से संबंधित कोई बयान नहीं दिया है । इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के मौखिक अनुरोध पर जिरह की अनुमति दी गयी।''

9(6) – साक्षी **पी0 डब्लू0–06 रामाकांत** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

''मै ग्राम ऐलाशगढ़, थाना मनियर, बलिया का निवासी हूॅ दिनांक 10.02.2012 को इस मुकदमें की मृतका बिन्दा देवी के शव की तलाश हेजतु घाघरा नदी की तरफ पुलिस के लोग गये थे तब मै भी वहां पर भीड़ को देखकर पहुंचा था जहां पर गिरफ्तारी अभियुक्त छोटेलाल के निशानदेही पर घाघरा नदी के किनारे घटना स्थल बताने वाली स्थान से मृतका बिन्दा चौहार पत्नी तुफानी चौहान साकिन ऐलाशगढ, थाना मनियर, जिला बलिया की साल जो मृतका घटना के पहले अपने घर से ओढ कर निकली थी उसे पुलिस द्वारा कब्जा में लिया गया और उसकी फर्द बरामदगी तैयार कर उस पर मेरे अलावा मृतका की पुत्री पूजा व मेरे गांव के शैलेन्द्र सिंह का हस्ताक्षर है जिसे मै तस्दीक करता हूॅ इसके अलावा एक जोड़ी चप्पल , एक चूड़ी , हसिया बरामद हुई थी जिस पर फर्द पुलिस द्वारा तैयार किाय गया था उस पर मेरा हस्ताक्षर है मै तस्दीक करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4, डाला गया । विवेचक मेरा बयान लिए थे । ''

9(7) – साक्षी **पी0 डब्लू0–07 हे०का० राजेश कुमार यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

''दिनांक 03.02.17 को थाना मनियर पर का०मु० के पद पर तैनात था । उस दिन थाने में पूजा चौहान पुत्री स्व० तुफानी चौहान ग्राम ऐलासगढ थाना मनियर, जिला बलिया, ग्राम प्रधान दिनेश कुमार के साा एक किता तहरीर के साथ आकर दिया । तहरीर पर

आमद मैने रपट सं० 49 समय 21.10 बजे दिनांक 03.02.17 को जी०डी० में उसका इन्द्राज अपने हस्तलेख व अपने हस्ताक्षर में किया था जिसकी एक ही व्यवहार में तैयार की गयी, मूल की कार्बन प्रति पत्रावली में कागज सं0 7 क/5 मेरे समक्ष है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है तस्दीक करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया । वादिनी मुकदमा पूजा चौहान के लिखित तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा थाने पर नकल चिक तहरीर के मुताविक अक्षरशः सी०सी०टी०एन०एस पर मेरे द्वारा मु०अ०सं० 235/2017 अन्तर्गत धारा 364 भा०दं०सं० बनाम छोटेलाल यादव पुत्र जवाहिर के विरुद्व पंजीकृत किया । नकल चिक पत्रावली में शामिल कागज सं० 4 क/1 लगायत 4 क/4 मेरे समक्ष है जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है थाने की मुहर लगी है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया ।

9(8) – साक्षी **पी0 डब्लू0–08 निरीक्षक विजय सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' मैं जनवरी 2017 में थाना मनियर जनपद बलिया पर बतौर थानाध्यक्ष तैनात था। दिनांक 03.02.17 को वादी मुकदमा पूजा चौहान पुत्री तुफानी चौहान नि० एलासगढ़ खास थाना मनियर जिला बलिया के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु० अ० सं० 235 ध्17 धारा 364 भादसं० बनाम छोटेलाल यादव पुत्र जवाहिर यादव नि० ककरघट्टा थाना मनियर जिला बलिया 1 नफर अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना ग्रहण कर मेरे द्वारा दिनांक 03.02.17 को पर्चा नं० 1 किता किया था जिसमें मेरे द्वारा नकल चिक व कायमी का सारांश अंकित कर बयानवादिनी मुकदमा कु० पूजा चौहानए बयान ग्राम प्रधान दिनेश कुमार व बयान प्रथम सुचना रिपोर्ट लेखक कां० राजेश कुमार का बयान अंकित किया गया जिसका विस्तृत उल्लेख पर्चा नं० 1 में किया गया है।

दिनांक 04.02.17 को मेरे द्वारा पर्चा नं० 2 किता किया गया है जिसमें वादिनीमुकदमा पूजा चौहान के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व मुताबिक मौका मौके का नक्शा नजरी तैयार किया था। वह नक्शा नजरी आज मेरे सामने शामिल मिसिल पेपर सं० 5 क/2 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर प्रदर्श क 7 डाला गया। दिनांक 05.02.17 व दिनांक 06.02.17 को मेरे द्वारा क्रमशः पर्चा नं० 3 व 4 किता किया गया है जिसमें अभियुक्त व पीड़िता का पत्तारसी सुरागरसी किया गया था। दिनांक 07.02.17 को पर्चा नं० 5 किता किया गया है जिसमें मेरे द्वारा गवाह गौतम सिंह एगवाह शैलेंद्र सिंह का बयान अंकित किया गया है तथा अपहता का विभिन्न संभावित स्थलो पर पता किया गया परन्तु पता नहीं चल पाया जिसका उल्लेख पर्चा नं० 5 में किया गया है। दिनांक 07.02.17 को ही पर्चा नं० 5 ए किता किया गया था जिसमें पूर्व प्रधान देवेंद्र यादव का बयान अंकित किया गया है जिसमें गवाह ने बताया कि गवाह से अभियुक्त छोटेलाल ने यह बात बताया था कि उसने अपहता

विंदा चौहान को उसका उधारी का पैसा देने के बहाने बुलाकर दिनांक 31.01.17 को अभियुक्त हीरामन बिंद पुत्र चंद्रदेव बिंद व भरत यादव पुत्र श्यामदेव यादव के साथ मिलकर घाघरा नदी के किनारे ले जाकर गला दबाकर हत्या कर शव को नदी में फेक दिये हैं। यह बताते हुए अपने आप को पुलिस से बचाने की सिफारिश किया था जिसका विस्तृत उल्लेख मेरे द्वारा पर्चा नं० 5ए में किया गया है। दिनांक 08.02.17 को पर्चा नं० 6 किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्त छोटेलाल के मोबाइल नं० व अपहता के मोबाईल नं० का सीडीआर प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर संलंग्न सीडी किया गया। दिनांक 10.02.17 को मेरे द्वारा पर्चा नं० 7 किता किया गया जिसमें अभियुक्त छोटेलाल यादव की गिरफ्तारी मुडियारी के पहले नटुआ बीर बाबा के मंदिर के पास से किया गया था तथा थाने ले जाकर उसका बयान अंकित किया गया था जिसमें अभियुक्त ने सह अभियुक्त भरत यादव व हीरामन बिंद के साथ विंदा चौहान को उसकी साड़ी के आंचल से गले में फंसाकर गला कसकर मृत्यु कारित करना बताया था तथा शव को घाघरा नदी में फेक देने की बात बतायी थी जिसका विस्तृत उल्लेख मेरे द्वारा पर्चा नं० 7 में किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपहता विंदा चौहान की हत्या कारित किये जाने वाले स्थान के संबंध मे बताने पर उसको साथ लेकर तथा वादिनी मुकदमा ग्राम प्रधान दिनेश व शैलेंद्र सिंह की उपस्थिति में अभियुक्तगण व अपहता के द्वारा मिलकर आपस में बातचीत करने का स्थान व अपहता को मारकर फेंकने वाला स्थान दिखाया गया था। उक्त दोनो स्थलो का निरीक्षण कर मौके का नक्शा नजरी तैयार किया था वह दोनो नक्शा नजरी आज मेरे सामने शामिल मिसिल पेपर सं० 5क/3 व 5क/1 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है तसदीक करता हूं जिसपर क्रमशः प्रदर्श क 8 व प्रदर्श क 9 डाला गया।

अभियुक्त द्वारा निरीक्षण के दौरान अपनी निशानदेही पर घाघरा नदी के किनारे मृतका विंदा चौहान की साल जो ओढ़कर गयी थीए को दिखाया था जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया तथा वहीं से अभियुक्त के निशानदेही पर अपहता विंदा चौहान का 1 जोड़ी प्लास्टिक की हवाई चप्पल व 1 अदद हसिया चारा काटने वाला लोहे का जिसमें लकड़ी की मुठिया लगी थी बरामद कराया था जिसे वादिनी मुकदमा ने अपनी मां विंदा चौहान की साल चप्पल व हसिया का पहचान की थी जिसे कब्जा पुलिस में लेकर सालए चप्पल व हसिया का अलग अलग फर्द तैयार किया था तथा मौके पर कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था व तीनो फर्दो पर अभियुक्त का अंगूठा निशान व मौजूद गवाहान पूजा चौहान शैलेंद्र सिंह व रामाकांत के भी हस्ताक्षर बनवाये गये थे। वह फर्द आज मेरे सामने शामिल मिसिल पेपर सं० 6क/1ए 6क/2 व 6क/3 है जिनपर पहले से क्रमशः प्रदर्श क–2, क 3, व क 4 डाला गया है। उक्त फर्दो का अवलोकन कर संलंग्न सीडी किया गया जिसका विस्तृत उल्लेख पर्चा नं० 7 में किया गया है। वह मॉल आज मेरे सामने न्यायालय में

लाया गया है जो सर्वमोहर दशा में है हसिया पर अ० सं० 235/17 धारा 364, 302, 201, भा ० द०स० लिखित है जिसपर मेरा हस्ताक्षर है तथा अभियुक्त का अंगूठा निशान है जिसे रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 11.02.17 को सिन किया गया है जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसमें से 1 अदद हसिया निकला जिसका फर्द से मिलान किया गया तो हुबहू पाया गया। कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 1 व हसिया पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया तथा सर्वमोहर दशा में 1 पोटली जिसपर अ० सं० 235/17 धारा 364, 302, 201 भा० द० स अंकित है जिसपर मेरा हस्ताक्षर है तथा रिमांड मजिस्ट्रेट का सिन किया गया है तथा अभियुक्त का अंगूठा निशान है जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसमें से 1 साल गाढ़े बैगनी रंग जिसका किनारा धारीदार लाल व सफेद निकला जिसका फर्द से मिलान किया गया हुबहू पाया गया जिसके कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 3 व साल पर वस्तु प्रदर्श 4 डाला गया। 1 सर्वमोहर दशा में चप्पल है जिसके कपड़े पर अ० सं० 235/17 धारा 364, 302, 201 भा० द० स० थाना मनियर जिला बलिया अंकित है जिसपर मेरा हस्ताक्षर है तथा रिमांड मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर है तथा अभियुक्त के अंगूठे का निशान है जिसका फर्द से मिलान कियाएहुबहू पाया गया तसदीक करता हूं कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 5 व चप्पल पर वस्तु प्रदर्श 6 डाला गया। यह वही मॉल है जिसे मैंने अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद किया था।

उसी दिन दिनांक 10 .02.17 को पर्चा नं० 7, किता किया गया है जिसमें मेरे द्वारा अब तक की विवेचना व अभियुक्त के बयान व उसकी निशानदेही पर फर्द बरामदगी के आधार पर धारा 302, 201 भादस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण भरत यादव व हीरामन बिंद का नाम प्रकाश में लाया गया जिसका उल्लेख पर्चा नं० 7 ए में किया गया है।

दिनांक 22.02.17 को पर्चा नं० 10 किता किया गया था जिसमें मेरे द्वारा गवाह गीता यादव का बयान अंकित किया था जिसका उल्लेख पर्चा नं० 10 में किया गया है।

दिनांक 24.02.17 को पर्चा नं० 12 किता किया गया था जिसमें मेरे द्वारा फर्द गवाहान शैलेंद्र सिंह व रामाकांत चौहान का बयान अंकित किया था तथा दिनांक 20 .03.17 को फर्द गवाह वादी मुकदमा पूजा चौहान का बयान अंकित किया थाए जिसका उल्लेख पर्चा नं० 15 में किया गया है।

दिनांक 27.03.17 को पर्चा नं० 17 किता किया गया था जिसमें मेरे द्वारा बयान गवाह सुरेंद्र यादव का बयान अंकित किया था।

मेरे स्थानांतरण के पश्चात बाद की विवेचना शेर सिंह तोमर द्वारा की गयी है जिसमें शेर सिंह तोमर द्वारा पर्चा नं० 24 किता कर बयान गवाह मिश्री लाल व पर्चा नं० 25 किता कर दिनांक 08.05.17 को अभियुक्त छोटेलाल पुत्र जवाहिर यादव नि० ककरघट्टा थाना मनियर जिला बलिया के विरुद्ध जुर्म धारा 364, 302, 201 भादस का अपराध साबित होना व दौरान

विवेचना अभियुक्तगण भरत यादव पुत्र श्यामदेव व हीरामन पुत्र चंद्रदेव नि० ककरघट्टा थाना मनियर जिला बलिया का नाम प्रकाश में आए व अपराध में 302, 201 की बढ़ोत्तरी की गयी जिसमें अभियुक्त भरत यादव व हीरामन की विवेचना प्रचलित करते हुए अभियुक्त छोटेलाल यादव पत्ता उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 302, 201 भादस के आपराध बखूबी साबित होना पाते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। वह आरोप पत्र आज मेरे सामने शामिल मिसिल पेपर सं० 3क/1 ता 3क/5 है जो शेर सिंह तोमर द्वारा प्रेषित किया गया है जिसपर शेर सिंह तोमर का हस्ताक्षर है मैं उनके साथ काम किया हूं मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं जिसपर प्रदर्श क10 डाला गया। विवेचक शेर सिंह तोमर द्वारा दिनांक 15.05.17 को पर्चा नं० एस० सीडी 3 किता किया गया है जिसमें अभियुक्त भरत यादव का बयान अंकित किया गया है तथा दिनांक 17.05.17 को एस० सीडी 4 किता किया गया है जिसमें अभियुक्त हीरामन बिंद का बयान अंकित किया गया है तथा तमामी विवेचना बयान वादी व बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल व फर्द बरामदगी सीडीआर रिपोर्ट आदि के आधार पर अभियुक्त छोटेलाल यादव सहित अभियुक्त भरत यादव पुत्र श्याददेव यादव तथा हीरामन पुत्र चंद्रदेव यादव नि० ककरघट्टा थाना मनियर बलिया के विरुद्ध जुर्म धारा 364, 302 201 भादस का अपराध बखूबी साबित होना पाते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 17.05.17 को न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जो मुल रूप से एस टी 125/17 सरकार बनाम भरत यादव अ० सं० 235/17 में शामिल मिसिल पेपर सं० 3क/1 ता 3क/8 है जो शेर सिंह तोमर के हस्ताक्षर में है तसदीक करता हूं जिसपर प्रदर्श क–11 डाला गया।

10– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान दं0 प्र0 सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत होने का कथन किया गया है। पी.डब्लू.1 के बयान के सम्बन्ध में गलत तथ्यों पर आधारित तहरीर को साबित किये जाने का कथन किया गया है तथा अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2, पी.डब्लू.3, पी.डब्लू.4, पी.डब्लू.5, के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना का, कथन किया गया है, अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.6 के बयान कें सम्बन्ध में गलत बयान दिया जाना तथा गलत तथ्यों पर आधारित प्रपत्र को साबित किया जाना बताया है ।

पी.डब्लू.7 के बयान में सम्बन्ध में गलत तथ्यों पर आधारित प्रपत्र को साबित किया जाना बताया है, पी०डब्लू० 8 के बयान के सम्बन्ध में गलत बयान दिया जाना तथा गलत तथ्यों पर आधारित प्रपत्र को साबित किया जाना बताया है । मुकदमा साजिश के तहत चलना बताया है। सफाई साक्ष्य देना कहा गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा कहा गया है कि वोट न देने की

नाराजगी के वजह से प्रधान वादिनी को अपने पक्ष में करके गलत तरीके से नामित करा दिये है मै निर्दोष बताया है।

11– मैंने राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन किया।

12– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से लिखाये जाने का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है वादिनी मुकदमा तथा अन्य अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य में कोई मूलभूत विरोधाभाष नहीं है। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपो को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किया गया है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जाये।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का खण्डन करते हुए यह कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समक्ष कर तथा विधिक राय लेकर पंजीकृत कराया गया है क्योकि दिनांक 31.01.17 समय 8.00 बजे मृतका को छोटेलाल यादव का फोन आना कहा गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.02.2017 को समय 21.10 पर दर्ज की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन विलम्ब से लिखायी गयी है विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिसके कारण अभियोजन कथानक असत्य, बनावटी है तथा साक्षियों के मौखिक कथन में गम्भीर विरोधाभाष है जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

अभियोजन पक्ष की ओर बचाव पक्ष के कथन का खण्डन करते हुए यह कहा गया है कि विलम्ब होने का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.1 वादिनी मुकदमा ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि– मेरी मां विन्दा चौहान के फोन पर अभियुक्त छोटे लाल यादव का फोन आया था उस समय मेरी मां खाना बना रही थी, फोन मैने उठाया था तथा मै मम्मी को फोन दे दिया और कहा कि मम्मी छोटेलाल मामा का फोन है। फोन पर मेरी मम्मी को छोटेलाल ने बताया कि मेरे घर पर काम है मेरी मां ने छोटेलाल चौधरी से बात करके छोटेलाल यादव के घर काम करने चली गयी तथा हम लोगो से कही कि मै छोटेलाल यादव के यहां काम करने जा रही हॅू, काम समाप्त होने पर आजाउगी। उसी दिन शाम को मेरी मां काम करके वापस घर नहीं आयी तो मै दूसरे दिन छोटेलाल यादव के घर गयी तथा मैने अपनी मां के बारे में जानकारी लीं मैने कहा कि आपने, अपने काम पर मेरी मां को बुलाया था तथा वह काम करने आप के यहां आयी अभी तक घर वापस मेरी मां नहीं आयी है इस पर छोटेलाल यादव ने हिलाहवाली करने लगे

तथा बात करने से मना कर दिया । उसके बाद हम लोग अपनी मां को काफी खोजबिन किये जब नहीं मिली । जिससे स्पष्ट है कि कोई पर्याप्त विशेष देरी नहीं की गयी है क्यो कि उसके द्वारा मां को खोजने में समय लगा जिस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई है और अभियोजन पक्ष की ओर से देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है। इस लिए बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार होने योग्य नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में देरी हुई है ।

13– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि वादिनी मुकदमा पूजा चौहान द्वारा मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। .मृतका की पुत्री द्वारा छोटेलाल के घर जाने का कथन किया गया है उसके बाद छोटेलाल के घर जाने के बाद वह नहीं मिली, उसकी साल, चप्पल, हसिया बरामद हुई। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से साबित है कि अभियुक्त छोटेलाल यादव द्वारा मृतका विन्दा चौहान की हत्या कर लाश को नदी में बहा दिया, किसी हत्या के लिए यह होना आवश्यक नहीं है अभियुक्तगण के विरूद्व विरचित आरोप के अपराध को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किया गया है इस लिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जाये।

14– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का खण्डन करते हुए यह कहा गया है कि अभियोजन की ओर से परिक्षित सभी साक्षी एक ही परिवार के व गांव के सदस्य है तथा कोई घटना का चतुदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है । पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 गवाहो ने अपने बयान में विवादित अपनी जिरह में कथन किये है, विवादित बाते करने के कारण ये घटना स्थापित नहीं होती हैं अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा उपरोक्तानुसार अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में किये गये तथ्य पर बल प्रदान नहीं होता है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

15– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक तहरीर प्रदर्श क1 जिसे वादिनी मुकदमा पूजा चौहान द्वारा थानाध्यक्ष थाना मनियर को दिनांक 03.02.17 को दिया गया था इस सम्बन्ध में पी.डब्लू.1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन का समर्थन किया है तथा अपनी जिरह के पेज सं० 6 पर कथन किया है कि जो प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था वह गांव के किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, नाम मुझे नहीं पता । प्रार्थना पत्र में क्या–क्या लिखा था यह भी मुझे नहीं पता । इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 2 ने अपनी जिरह के पेज सं० २ पर कथन किया है कि मैने थाने पर प्रार्थना पत्र स्वयं लिखकर नहीं दिया था यह दरखास्त पूजा ने ही थाने पर किसी से लिखवाई और थाने पर दे दिया गया । उपरोक्त तथ्य से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रश्न पर अभियोजन साक्ष्य का उपरोक्तानुसार समर्थन नहीं किया गया है ।

16– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई हत्या नहीं की गयी है उन्हे इस मुकदमें में वोट न देने की नाराजगी के वजह से प्रधान वादिनी मुकदमा को अपने पक्ष में करके गलत तरीके से नामित करा दिया गया है । अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए ।

17– अपर जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि पैसा मांगने के कारण परिस्थितियाँ दर्शित करती है कि मृतका को छोटेलाल द्वारा फोन कर बुलाया था और वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी मां का फोन नम्बर बताया गया है जिसका काल डिटेल पत्रावली में कागज सं० 11 ख दाखिल है जिससे यह साबित है कि मृतका को छोटेलाल यादव द्वारा फोन कर के बुलाया गया था । जिसे पी0 डब्लू0 1, व पी0 डब्लू0 2 ने अपने बयान में साबित किया है।

जबकि बचाव पक्ष छोटेलाल यादव के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिस्थितियों जन्य साक्ष्य में हेतुक को साबित किया जाना आवश्यक है इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **नगराज बनाम स्टेट (2015) 4 एससीसी 739** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अभियोजन को हेतुक साबित किया जाना आवश्यक है ।

बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभियोजन कथानक द्वारा फोन पर बुलाना कहा है परन्तु वादिनी द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में फोन नम्बर 7309736128 का उल्लेख किया है परन्तु वह नम्बर मृतका का था या नहीं इसका कोई प्रमाण पत्र संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी का प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही वादिनी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षा में उक्त मोबाइल नम्बर का उल्लेख किया हैं, न ही विवेचक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर किसके नाम से था मोबाइल सेवाप्रदाता का कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया कि उक्त मोबाइल नम्बर मृतका का था एवं काल डिटले के सम्बन्ध में कोई सेवाप्रदाता मोबाइल कम्पनी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही मोबाइल फोन को कब्जा में लेकर फर्द बरामदगी बनायी गयी है, तथा कोई हेतुक को भी साबित नहीं किया गया है ।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का तर्क है कि वादिनी ने अपने बयान में छोटेलालयादव के फोन आने की बात कही है इसलिए मोबाइल नम्बर को साबित करने की कोई आवश्यता नहीं है एवं पैसे के विवाद के सम्बन्ध में पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है ।

बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क स्वीकार होने योग्य है क्योकि अभियोजन द्वारा वादिनी मुकदमा का कोई मोबाल नम्बर अपने मुख्य परीक्षा में उल्लेख नहीं किया है तथा विवेचक द्वारा कोई प्रपत्र सेवाप्रदाता कम्पनी का दाखिल नहीं किया गया है कि उक्त मोबाइल नम्बर किसके द्वारा संचालित था, और किसके नाम से था, उक्त सेवाप्रदाता व कम्पनी के प्रपत्र एवं

कालडिकेल के प्रमाण पत्र के अनुपस्थित में यह तथ्य स्थापित नहीं होता है कि काल डिटेल किसकी है और अभियुक्त का मोबाइल नम्बर क्या था उसे भी प्रपत्रो या कम्पनी के प्रमाणित प्रपत्रो द्वारा स्थापित नहीं किया गया है एवं बिना प्रमाणपत्र के कालडिटेल को विधिनुसार साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा गम्भीर त्रुटि की गयी है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदपि विवेचक द्वारा कोई मोबाइल नम्बर या कालडिटेल के सम्बन्ध में कागज सं11 ख विवेचना का पार्ट बनाया है परन्तु उसके द्वारा कम्पनी का कोई काल डिटेल एवं मोबाइल नम्बर सचालित करने वाले का नाम पता एवं अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवेचना का भाग नहीं बनाया है जो कि इस मुकदमें की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू० 1 पूजा ने अपने बयान में कहा है कि मां फोन पर छोटेलाल यादव के घर गयी, एवं स्वयं वादिनी मुकदमा पूजा द्वारा अपने जिरह के पेज सं08 पर कथन किया गया है कि ''अभियुक्त छोटेलाल यादव फोन नहीं आया था मै फोन नहीं उठाई थी, और न ही मैने मम्मी को फोन दिया था और न ही छोटेलाल मेरी मम्मी को काम करने के लिए अपने घर बुलाये थे एवं पी०डब्लू० 2 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि पूजा ने बताया था कि मेरी मां को छोटेलाल यादव दिनांक 31–01–7 को सुबह 8.00 अपने यहां काम करने के लिए लेकर गये थे दोनो साक्षियों के बयान में मां को घर से जाने के सम्बन्ध में गम्भीर विरोधाभाष है क्योकि एक तरफ पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा पूजा द्वारा मां विन्दा चौहान को घर से फोन से अभियुक्त छोटे लाल यादव द्वारा बुलाया जाना कहा एवं दूसरी तरफ पी०डब्लू० 2 दिनेश यादव ने अपने बयान में पूजा के कथानानुसार छोटे लाल यादव मृतका को उसके घर से ले जाने की बात कही है । इसी लिए अभियुक्त छोटेलाल यादव के द्वारा घर से बुलाये जाने पर संदेह उत्पन्न होता है ।

बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियोजन के कथानक के सम्बन्ध में हेतुक को भी साबित करने में अभियोजन पक्ष असमर्थ रहा है।उक्त तर्क स्वीकार होने योग्य है क्योकि तहरीर में कही भी विन्दा चौहान द्वारा पैसे मांगने वाली बात का उल्लेख नहीं किया है परन्तु उसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में मां विन्दा चौहान द्वारा उधार पैसे देने का उल्लेख किया है परन्तु जिरह में पेज ० 8 पर कहा है कि छोटे लाल मेरी जानकारी में मेरी मां को उधार के रुप में कोई पैसा नहीं दिया था तथा पी०डब्लू० 2 द्वारा पैसा उधार देने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में अभियोजन का यह तर्क की विवेचक द्वारा अपने पर्चा नं० 5 में उधारी का पैसा देने के बहाने बुलाकर विन्दा चौहान को घर बुलाकर हत्या कर शव को नदी में फेक दिया उक्त तर्क का समर्थन साक्षी सं० 5 देवेन्द्र यादव ने अपने मुख्य परीक्षा के पेज 1 पर कथन किया है, कि मैने विवेचक को इस मुकदमें से संबंधित कोई बयान नहीं दिया था तथा अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैने कभी भी विन्दा चौहान से पैसा अभियुक्तगण को लेते हुए

न मै देखा था न सुना था । इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **नगराज बनाम स्टेट (2015) 4 एससीसी 739 के** अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के उपरोक्त मामले में पैसा के सम्बन्ध में हेतुक को साबित करने में उपरोक्तानुसार असफल रहा है । जिससे कथित हेतुक पर संदेह उत्पन्न होता है ।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि परिस्थिति जन्यसाक्ष्य में हेतुक और सम्पूर्ण घटना चक्र को एक कड़ी में स्थापित करना है कि अभियुक्तगण ने ही मृतका विन्दा चौहान की हत्या अभियुक्तगण द्वारा गला दबा कर सरजू नदी में बहा दिया ।

इस सम्बन्ध में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का तर्क है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा की मां को सरजू नदी के किनारे लेजाकर हसिया से मार कर उनकी मृत्यु कारित की गयी। तथा विन्दा चौहान की साल, चप्पल, व हसिया को वस्तु प्रदर्श –2 ता 6 अभियुक्त छोटे लाल यादव के बताये गये स्थान से बरामद की गयी है तथा विवेचक द्वारा उक्ता नक्शा नजरी प्रदर्श क–8 ता 9 प्रमाणित कर साबित किया गया है ।

बचाव पक्ष का तर्क है कि विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी के सम्बन्ध में कोई समय का उल्लेख नहीं किया गया है तथा कथित घटना स्थल से कितनी दूरी पर बरामद हुआ है इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है तथा फर्द बरामदगी की गवाह पूजा द्वारा अपने प्रमुख्य बयान में कही भी फर्द बरामदगी प्रदर्श 2 ता 4 के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है तथा अपने जिरह में कथन किया है कि मेरे सामने मेरी माता की साल हवाई चप्पल व न ही एक अदद हसिया बरामद हुई थी, यह भी तर्क है कि लास्टसीन के गवाह पी०डब्लू० 3 ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है ।

इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम् न्यायालय की विधि व्यवस्था शरद विरधीचन्द्र शारदा बनाम महाराष्द्र(1984) 4 एससीसी 116** में पारित सिद्धान्त के अनुसार ''मामलो में पूरा तथ्य एक कड़ी में इस प्रकार से अन्तरवलित हो कि अन्य कोई उस अपराध में सम्मिलित होना दर्शित न हो और यह स्थापित हो कि मात्र अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया हो और परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति व प्रवृति की होनी चाहिए और साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृखला होनी चाहिए जिसमें अभियुक्त की निर्दोषता निकलाने का कोई आधार न हो ।''

18– अभियोजन को यह सिद्ध करना है कि अभियुक्त छोटेंलाल यादव मृतका को अपने घर बुलाकर अन्य अभियुक्तगण द्वारा मृतका विन्दा देवी की हत्या हसिया से मार कर की गयी एवं लाश को गायब कर दी गयी । पी.डब्लू. 2 ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्त छोटेलाल यादव द्वारा मृतका विन्दा देवी को मारा गया है इस बात की भी चर्चा गांव में नहीं थी । पी.डब्लू. 3 ने अपने जिरह में कथन किया है कि '' मृतका विन्दा को हरीगोड के साथ हाथ में हसिया लेकर नदी की ओर जाते नहीं देखा था । ''

19– बचाव पक्ष का तर्क है कि, अभियोजन द्वारा साबित साल, हसिया, चप्पल जिसे क्रमशः वस्तु प्रदर्श 4 ता 6 प्रस्तुत की गयी है वह खुले स्थान से प्राप्त की गयी है जहां पर आम जनता का आना जाना है एवं अभियोंजन पक्ष के अनुसार हसिया सरजू नदी के किनारे बरामद किया जाना बताया गया है जो संदेहात्मक है, उक्त तर्क स्वीकार होने योग्य है,क्यो कि विधि विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह साबित हो सकें कि विन्दा चौहान की हत्या बरामदशुदा हसिया से हुई है न ही किसी साक्षी ने बरामद शुदा हसिया पर मानव रक्त होने का कथन किया गया है , स्वयं विवेचक द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि बरामदशुदा हसिया पर कोई खून का निशान नहीं मिले थे अंगूठा चिन्ह का मिलान नहीं कराया था । वादिनी मुकदमा पूजा पी०डब्लू० 1 ने अपनी जिरह में उक्त वस्तु प्रदर्श 4,5,6, के बरामद होने का कोई उल्लेख नहीं किया है यद्यपि अभियोजन कथानक पर प्रश्न लगाते हुए कथन किया गया है कि मेरे सामने उक्त वस्तु प्रदर्श 4,5,6, बरामदगी नहीं हुई । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वस्तु प्रदर्श घटना के करीब 10 दिनो बाद खुले स्थान पर बरामद हुए जो उपरोक्तानुसार बरामदगी पर संदेह उत्पन्न करता है क्योकि कोई व्यक्ति लाश को फेक सकता है तो उन वस्तु को क्यो नहीं फेका गया, यद्यपि वादिनी मुकदमा ने बरामदगी से इंकार किया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी०डब्लू० 5 ने अपने बयान में ही विन्दा चौहान को अन्य अभियुक्तगण के सस्वीकृत करने के तथ्य से इंकार किया गया है एवं पी०डब्लू० 5 ने भी अन्तिमदृश्य के गवाह उन्होने अभियुक्त हीरामन को विन्दा चौहान के साथ न ही सरजू नदी की ओर जाते समय देखे जाने के तथ्य से इंकार किया है, इसी प्रकार पी०डब्लू० 3 ने अपने बयान में दोनो व्यक्तियों को पहचाने से इंकार किया है । गवाहो को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह करने पर ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता हो । इस प्रकार उक्त वस्तु प्रदर्श बरामदगी एवं अन्तिम दृश्य पर भी संदेह उत्पन्न होता है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Raja Naykar Vs State of Chhattisgarh 2024(127) ACC339 एस.सी.** में यह उल्लेख किया गया है कि– It can thus be seen that, the only circumstance that may be of some assis-tance to the prosecution case is the re-covery of dagger at the instance of the present appellant. However, as al-ready stated hereinabove, the said recovery is also from an

open place accessible to one and all. In any case, the blood found on the dagger does not match with the blood group of the deceased. In the case of <u>Mustkeem alias Sirajudeen v. State of Rajasthan,</u> this Court held that sole cir-cumstance of recov-ery of blood-stained weapon cannot form the basis of convic-tion unless the same was connected with the murder of the de-ceased by the accused. Thus, we find that only on the basis of sole circumstance of recovery of blood-stained weapon, it can-not be said that the prosecution has discharged its burden of proving the case beyond rea-sonable doubt.

विधि व्यवस्था से यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई हथियार बरामद किया जाता है और उस पर लगे खून के ग्रुप का मिलान मृतक के खून के ग्रुप से मिलान नहीं किया गया है तो मात्र खून के झब्बें के आधार पर परिस्थितिजन्य के आधार पर अभियोजन के सिद्ध करने के अधिभार को वहन किया जाना नहीं माना जा सकता। अभियोजन साक्षी पी०– डब्लू० 8 ने अपनी जिरह के पेज सं० 4 पर कथन किया है कि बरामदशुदा हसिया पर कोई खून का निशान नहीं था । हसिया बरामद होने के बाद मैने अभियुक्तगण से फिंगरप्रिंट की जांच नहीं कराया था । बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क स्वीकार होने योग्य है क्योकि जो हसिया की रिकवरी दिखायी गयी है वह खुले स्थान पर बरामद की गयी जाना दर्शित है क्योकि पी. डब्लू.8 विवेचक द्वारा अपनी जिरह में कहा है कि जहां से चप्पल व हसिया बरामद हुआ था वह साफ सुथरी जगह तथा नदी का किनारा था । बरामदशुदा हसिया पर कोई खून का निशान नहीं था । हसिया बरामद होने के बाद मैने अभियुक्तगण से फिंगरप्रिट की जांच नहीं कराया था । घटना के 10 दिनो बाद उक्त हसिया , साल, चप्पल, की बरामदगी दिखायी गयी हैं, प्रस्तुत मामले में भी हसिया की बरामदगी नदी के किनारे साफ सुथरी स्थान पर दिखलाई गयी है स्वयं विवेचक पी.डब्लू.8 द्वारा उपरोक्तानुसार बरामदगी नदी के किनारे साफ सुथरी स्थान पर में होना जिरह में अभिकथित किया है, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी सिद्धान्त उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित किया है कि जहां बरामदगी दिखायी जाती है वह खुला स्थान हो एवं आम जनता का आना जाना हो वह बरामदगी में संदेह उत्पन्न होता हैं ।

20– अभियोजन का परिस्थिथिजन्य साक्ष्य के मामले के सम्बन्ध में उपरोक्त तर्क स्वी–कार होने योग्य नही है क्योकि पी.डब्लू.1 द्वारा अपने जिरह में कथन किया है कि जो प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था वह गांव के किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, नाम मुझे नहीं पता । प्रार्थना पत्र में क्या–क्या लिखा था यह भी मुझे नहीं पता । अन्य समस्त तथ्य के गवाहो द्वारा हत्या करने वाले व्यक्ति को देखे जाने से इंकार किया है उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण का घटना में सम्मलित होने पर संदेह उत्पन्न करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **शरद विरधीचन्द्र शारदा बनाम महाराष्ट्र(1984) 4 एससीसी 116** में पारित सिद्वान्त के अनुसार प्रस्तुत मामलो में पूरा तथ्य एक कड़ी में इस प्रकार से अर्न्तवलित नही है तथा यह स्थापित हो कि मात्र अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया हो एवं परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति व प्रवृति की नही है एवं साक्ष्य भी एक ऐसी कड़ीबद्व श्रृखला नही है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्व ठहराया जा सकें।

21– इस प्रकार मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह अवधारित करने का युक्ति.युक्त एवं औचित्यपूर्ण आधार है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण उपरोक्त नामांकित के विरुद्ध लगाये गये किसी भी आरोप को एक श्रृखलाबद्ध तरीके से व युक्ति.युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण छोटेलाल यादव, भरत यादव एवं हीरामन विन्द पर लगाये गये सभी आरोपों में दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

एस०टी०सं० 108/2017 के अभियुक्त छोटेलाल यादव, एस०टी०सं० 125/2017 के अभियुक्त भरत यादव एवं एस०टी०सं० 220/2017 के अभियुक्त हीरामन विन्द पर आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा– 364, 302, 201 भा0 दं0 सं0 से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण दौरान विचारण जमानत पर है। अतः उनके स्वबन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा उनके जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

उक्त निर्णय की एक प्रति एस०टी०नम्बर 125/2017 सरकार बनाम भरत यादव एवं एस०टी०नम्बर 220/2017 सरकार बनाम हीरामन विन्द की पत्रावली में नियमानुसार रखी जाए ।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में मु0– 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू एक सप्ताह के

अन्दर दाखिल किया जाए, जो नियमानुसार दी गयी अवधि तक वैध रहेंगे।

विवेचक द्वारा विवेचना में कई त्रुटि की गयी है, जिसके सम्बन्ध में एस०एस०पी० को आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रेषित की जाए ।

दिनांक 11.08.2026

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट, संख्या–01, बलिया।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके, सुनाया गया।

दिनांक 11.08.2026

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट, संख्या–01, बलिया।

नीरज सिंह आशुलिपिक